

WITHOUT PREJUDICE

Sch XIV F. No. 180V

हारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लेगान रसीद



V

जिला का नाम
अनुमण्डल का नाम
अंचल का नाम
मौजा
धाना वी धाना नम्बर

काठमा

कन्यापुरा
329

रसीद क्रमांक
रेयत का नाम
पिता का नाम
जमावदी नम्बर

JH A026243

अजय सिंह
329

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
90		0.11

जोत को सालाना मांग एवं मांग का विकरण (बकाया एवं हान) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	हाल	रा. वर्ष	विगत वर्ष
लेगान	1.40	3 वर्ष से ज्यादा	6.00	11.00
सेस	1.50		1.50	2.25
*ब्याज	1.50		3.00	1.80
विविध	1.50		3.00	1.50
योग	2.10		13.50	2.55

अदायगी	3 वर्ष से ज्यादा	3 वर्ष से कम	हाल	अभिस
लेगान	6.00	1.50	1.50	
सेस	1.50	1.50	1.50	
*ब्याज	3.00	1.50	1.50	
विविध	3.00	1.50	1.50	
योग	13.50	2.55	2.55	

- कुल योग शब्दों में
- नाम अदाकर्ता
- कुल बकाया

हस्ताक्षर एवं दिनांक

SPL/2013

अजय सिंह

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

भारतखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 562301310820115601

Date : 31-08-2020

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री AJAY SINGH S/O LT DWARIKA SINGH,
मोहल्ला NAGARKHARA KODERMA KODERMA , 6291158880
KODERMA , 825410

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0040000281000M0 वार्ड सं. 4 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	56.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		56.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, naga.harakharad.org.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंठस्थ 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
दियवत है जहाँ है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर नियम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहल पावें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण धुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिवालय दी जाएगी।
- मिस्री देय धुति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमहत्त की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समग्र निगरान करा सकते हैं एवं तथ्य सतत धार करने पर नियमावली कंठस्थ 13.2 के अनुसार निर्धारित खासि (Fines) एवं अंतर राशि देय होगा।
- KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमरतीयांयों को कोई कम्प्यूटी हेसिदत प्रदान नहीं करता है और एका न ही अपने मलिकों / दखलदार को कोई कम्प्यूटी अधिस्वर प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होलिंग नंजो का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह वित्तिष्ट संरचनाओं की वेणी के अन्तर्गत मन्ना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

अ.प.सि.